The Compulsory Periodical Desiltation Of Dams, Reservoirs And Rivers Bill, 2025-Introduced

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बांधों, जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने, जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि बांधों, जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने, जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष **:** सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी फ्लाइट जानी है ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** चूंकि अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता दे देते हैं।

आइटम नम्बर- 231, श्रीमती स्मिता उदय वाघ ।